## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –18 / 2022

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र चम्पालाल जाति महजान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 16/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी जरई ख.न. 78 की 28 बीघा 10 बिस्वा खाम भूमि वाके रोही मौजा कस्बा नोहर वादी के पिता चम्पालाल की सम्बत 2004 से राज्य सरकार से सदा के लिए रकम के बदले काश्त प्राप्त की हुयी थी तथा तभी से मुतावातिर उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी तथा वो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन् 1955 लागु होने के वक्त विवादित भूमि के काश्तकार थे और खातेदार हो चुके थे।

उपरोक्त आराजी जरई पैमाईश हाल में ख.न. 103 की 2.01 बीघा भूमि ख.न. 105 की 8.15 बीघा भूमि ख.न. 92 की 3.07 बीघा बाके रोह मौजा कस्बा नोहर में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। हाल ख.न. 103 की 2.01 बीघा भूमि तो वादी के पिता के नाम से खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया मगर हाल ख.न. 105 की 8.015 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज कर दिया गया जो नये माप के अनुसार ख.न. 105 की 2.2130 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज की गयी है जिसे वादी प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवाके अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी के पिता की हाल ख.न. 108 की 8.15 बीघा भूमि अमला माल ने कतई नाजायज बिला हक व अधिकार के पूर्व में सिवाय चक गलत दर्ज कर दिया तथा उसके बाद प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातेदारी हकुक का हनन होता है वादी अपने हकुक की घोषणा करवा ले जमाबन्दी दुरुस्त करा विवादित भूमि बजाय प्रतिवादी सं. 2 के अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का मजाज है यही बिना दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उक्त गलत इन्द्राज जमाबन्दी के आधार पर वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर रहे है तथा जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञ जारी कराने का अधिकारी है वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को कई मर्बका कहा कि वो जमाबन्दी दुरूस्त कर वादी के नाम से उक्त ख.न. 105 की 8.15 बीघा भूमि से प्रतिवादी सं. 2 का नाम

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कलमजन कर वादी के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर देवे जिस पर वो कई दिन तो आजकल आजकल करते रहे आखिर बमुकाम दनिांक 01/12/2021 को कतई इन्कार हो गया लिहाजा यही बिनाय दावा है। अत वाद वादी घोषित किया जावे की ख.न. 78 मीन के हाल ख. न. 105 की 8. 15 बीघा भूमि नये माप क भूमि 2.213 हैक्टर भूमि गै.मु. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज भूमि में उसका नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमबांदी सम्वत 2009—12 कस्बा नोहर ईएक्सप—1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2012—15 ईएक्सपी—2, नकल जमाबंदी भू प्रबन्धन विभाग स0 2029—38 ईएक्सपी—3, नकल जमाबंदी स0 2004 कस्बा नोहर ईएक्सपी—4, नकल खसरा मिलान ईएक्सपी—5, नकल ख़सरा मिलान ईएक्सपी—6, नकल खसरा मिलान ईएक्सपी—7, नकल खसरा गिरदावरी समवत 2025—27 ईएक्सपी—8, नकल जमाबंदी सम्वत 2070—73 खाता स0 117/113 ईएक्सपी—9, नकल नोटिस 80 सीपीसी ईएक्सपी—10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त आराजी जरई पैमाईश हाल में ख.न. 103 की 2.01 बीघा भूमि ख.न. 105 की 8.15 बीघा भूमि ख.न. 92 की 3.07 बीघा बाके रोह मौजा कस्बा नोहर में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। हाल ख.न. 103 की 2.01 बीघा भूमि तो वादी के पिता के नाम से खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया मगर हाल ख.न. 105 की 8.015 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज कर दिया गया जो नये माप के अनुसार ख.न. 105 की 2.2130 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज की गयी है जिसे वादी प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवाके अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी के पिता की हाल ख.न. 108 की 8.15 बीघा भूमि अमला माल ने कतई नाजायज बिला हक व अधिकार के पूर्व में सिवाय चक गलत दर्ज कर दिया तथा उसके बाद प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातेदारी हकुक का हनन होता है अत प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका के नाम दर्ज हुई है। सम्वत 2066 से पूर्व उक्त भूमि मनोज के पूर्वजों चम्पालाल के नाम गैर खातेदारी थी एवं सम्वत 2066 में के बाद नगर पालिका के नाम दर्ज हुई है। साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित [illegible] फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाष[illegible]या। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान नगरपालिका के नाम दर्ज है। वादी का कथन है [illegible] उपरोक्त आराजी जरई पैमाईश हाल में ख. न. 103 की 2.01 बीघा भूमि ख.न. 105 की 8.15 बीघा भूमि ख.न. 92 की 3.07 बीघा बाके रोह मौजा कस्बा नोहर में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। हाल ख.न. 103 की 2.01 बीघा भूमि तो

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता के नाम से खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया मगर हाल ख.न. 105 की 8.015 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज कर दिया गया जो नये माप के अनुसार ख.न. 105 की 2.2130 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज की गयी है जबकि उक्त भूमि वादी के पूर्वजों के नाम थी तथा प्रतिवादी स0 2 द्वारा गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवाई गई है अत प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की नगरपालिका के नाम उक्त भूमि कैसे व किस आदेश से दर्ज हुई है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज है नगरपालिका के नाम दर्ज भूमि में वादी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....16/02/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –18/2022

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र चम्पालाल जाति महजान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 18 सन 2022 निर्णय दिनांक** 16/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...16/02/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:24 IST
Reason: SelfAttested